आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......08..../17–18

राज्य बनाम मारूति रजिस्ट्रेशन नं0– DL-5CG-1840

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.2.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सहरसा सदर थाना कांड संख्या–866/16 दिनांक–05.10.16 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत मारूति रजिस्ट्रेशन नं0– DL-5CG-1840 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सहरसा सदर थाना कांड संख्या–866/16 दिनांक–05.10.16 पु0नि0 संजय कुमार सिंह, पु0नि0 सह थानाध्यक्ष, सदर थाना सहरसा के स्वःलिखित फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त अमित सिंह पे0 श्यामल किशोर सिंह सा0–बिराटपुर थाना–सोनवर्षा हाल मोकाम–नगरपालिका चौंक थाना–सदर, जिला–सहरसा 2. रोहित सिंह पे0 शिवेन्द्र ना0 सिंह सा0–विद्यानगर, थाना–सदर, जिला–सहरसा 3. संजय सिंह पे0 स्व0 रामजनम सिंह साकिन–चानन थाना–महोदीनगर, जिला–समस्तीपुर हाल–मोकाम हटियागाछी थाना–सदर, जिला–सहरसा के विरूद्ध 14.550 एम0एल0 शराब होने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। उक्त विदेशी शराब और मारूति को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त मारूति रजिस्ट्रेशन नं0– DL-5CG-1840 से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन मारूति रजिस्ट्रेशन नं0– DL-5CG-1840 से शराब का कारोवार किया गया है। जिससे	

11.2.18

वाहन से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रद्त्त शक्तियों के आलोक में जप्त मारूति रजिस्ट्रेशन नं0– DL-5CG-1840 का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीगण वाहन मालिक की ओर से न तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और न ही कोई उपस्थित हुआ है। उक्त वाहन मारूति रजिस्ट्रेशन नं0– DL-5CG-1840 से विदेशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त वाहन अवैध कारोवार में संलिप्त है तथा विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मारूति रजिस्ट्रेशन नं0– DL-5CG-1840 से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जप्त वाहन मारूति से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन मारूति का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जप्त वाहन मारूति रजिस्ट्रेशन नं0– DL-5CG-1840 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।